झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

CIN U40108 JH2013 SGC OO1603

निगम कार्यालय : *अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4*

(कार्मिक विभाग)

स्थायी आदेश संख्या ...2868.........निगम मु0, रांची/ दिनांक...18.10.2016

संचिका संख्या – VI/कार्मिक/कोर्ट केश–8069/2015

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, निदेशक पर्षद के संलेख के **Item no. 25-07-09 / 2015-16**, दिनांक 08.09.2016 की 25वीं बैठक में लिये गये निर्णय (**Item no. 25-07-09**) के अनुशरण में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना के स्थायी आदेश संख्या 140 दिनांक 29.03.1965, 253 दिनांक 17.06.1968, 379 दिनांक 23.01.1973, 385 दिनांक 22.03.1969, 285 दिनांक 04.06.1969 एवं 401 दिनांक 05.11.1973, जिसके द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत कनीय लेखा लिपिक / विपत्र लिपिक / लिपिकीय वर्ग–IV कर्मियों/ अन्य संवर्ग के कर्मियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप तीन अग्रिम वार्षिक वेतनवृद्धि तथा लेखा कर्मियों द्वारा लेखा प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात देय तीन वार्षिक वेतनवृद्धि देने का प्रावधान है, में आंशिक संशोधन कर निम्न प्रावधान लागू किये जाते हैं:–

(क) लेखा कर्मियों/लिपिकीय वर्ग–IV कर्मियों/ अन्य संवर्ग के कर्मियों जिन्हें उपरोक्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् विभागीय परीक्षा के तिथि के अगले तिथि से तीन अग्रिम वार्षिक वेतनवृद्धि/ तीन वार्षिक वेतनवृद्धि के स्थान पर अब मात्र एक अग्रिम वेतनवृद्धि/एक वेतनवृद्धि देय होगी।

(ख) उक्त एक दिये गये अग्रिम वार्षिक वेतनवृद्धि/ एक वेतनवृद्धि का समायोजन संबंधित कर्मी को अगले देय वार्षिक वेतनवृद्धि से कर लिया जायेगा।

(ग) यह शर्त, यानि एक वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने का शर्त, उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा, जो एक ही परीक्षा (single examination) में सम्मिलित होकर सभी संबंधित पत्र (Paper) उत्तीर्ण कर लेते हैं।

(घ) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/ झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लागू पूर्व के आदेश / नियम उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(ड़) यह आदेश तत्क्षण प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के आदेश से।

ह0/–

(राजीव रंजन कुमार)

महाप्रबन्धक (कार्मिक सह सामान्य प्रशासन)

कृपया पृष्ठ उल्टें

ज्ञापांक ..../ निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ....

प्रतिलिपिः अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक के तकनीकी सचिव/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निजी सहायक/निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ निदेशक (प्रोजेक्ट एवं पी.आर.), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/ निदेशक (ओ0 एण्ड एम0), झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड/निदेशक (प्रोजेक्ट), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक/कम्पनी सचिव (देख–रेख), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजीव रंजन कुमार)
महाप्रबन्धक (कार्मिक सह सामान्य प्रशासन)

ज्ञापांक 2868 ..../ निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 18.10.2016

फैक्स
ई–मेल

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ संचरण प्रक्षेत्र/ सभी मुख्य अभियन्ता/ सभी वित्त नियंत्रक/ सभी उप महाप्रबन्धक (वित्त/ लेखा/ कार्मिक/ मानव संसाधन/ जनसम्पर्क)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ संचरण अंचल/ संयुक्त सचिव–III/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/ संचरण प्रमंडल/ वरीय प्रबन्धक (कार्मिक)/ वरीय प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ परियोजना प्रबन्धक, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी/ सभी अवर सचिव/ सभी लेखा पदाधिकारी/ सभी सहायक अभियन्ता/ सभी कार्मिक पदाधिकारी/ सभी प्रशासी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/16

(राजीव रंजन कुमार)
महाप्रबन्धक (कार्मिक सह सामान्य प्रशासन)